

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-भागीरथ शाख (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 300/2016

1. शंकर पिता राजु कीर जाति कीर निवासी गोविन्दपुरा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा(राज.)
2. रूकमा पत्नि राजु कीर जाति कीर निवासी गोविन्दपुरा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा(राज.)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. छोटु पिता गोपी कीर निवासी गोविन्दपुरा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
2. उदा पिता गोपी कीर निवासी गोविन्दपुरा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
3. बुद्धी पिता गोपी कीर निवासी गोविन्दपुरा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
4. पेमा पत्नि नाराण माली निवासी गोविन्दपुरा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
5. नाथू पिता केला माली निवासी गोविन्दपुरा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
6. शान्तीलाल पिता गोपीलाल माली निवासी गोविन्दपुरा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
7. झमकु पत्नि गोपीलाल माली निवासी गोविन्दपुरा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
8. उदा पिता मांगु माली निवासी गोविन्दपुरा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
9. माधु पिता कान्हा माली निवासी गोविन्दपुरा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
10. शंकर पिता रामा कीर निवासी गोविन्दपुरा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
11. उदा पिता पन्ना कीर निवासी गोविन्दपुरा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
12. भैरु पिता पन्ना कीर निवासी गोविन्दपुरा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
13. कल्याण पिता लक्ष्मण माली निवासी गोविन्दपुरा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
14. महादेव पिता लादू कीर निवासी गोविन्दपुरा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
15. शंकर पिता लादू कीर निवासी गोविन्दपुरा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

.....विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अ0 1956

:: निर्णय::

दिनांक 11/02/2017

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 रा0भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम गोविन्दपुरा प0ह0 मरड़ा की झुपड़िया तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा राज. में आराजी नम्बर 4488, 4560/1, 4567, 4569, 4574, कीता 5 रकबा 9 बीघा 03 बिस्वा स्थित है। विवेचित भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी हक में दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजि के सीमा चिन्ह नही हाने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न हो रहा हैं। जिससे प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता/चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 12/12/2016 को पंजीबद्ध किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थीगण पक्षकार को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित रूप से प्रमाणित है कि प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण का स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :-

ग्राम गोविन्दपुरा प0ह0 मरड़ा की झुपड़िया तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा राज. में आराजी नम्बर 4488, 4560/1, 4567, 4569, 4574, कीता 5 रकबा 9 बीघा 03 बिस्वा स्थित की पत्थरगढ़ी उभयपक्षो को सूचित कर तिथी निर्धारण के पश्चात् पत्थरगढ़ी की जावे। भूअभिलेख निरीक्षक कोटड़ी को उक्त कार्य हेतु कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थीगण कमिश्नर फीस रूपये 600/-भू-अभिलेख निरीक्षक को जमा करायेगा। आदेश की पालना कर 07 योम में न्यायालय को अवगत करावे। आदेश पृथक से जारी किया जावे। निर्णय आज दिनांक 11/02/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हों।

(भागीरथ शाख)

उपखण्ड अधिकारी

कोटड़ी, भीलवाड़ा

प्रतिलिपी:-तहसीलदार कोटड़ी को भेजकर लेख है कि आदेश की पालना करवाकर 07 योम में कर रिपोर्ट पेश करे